प्रकरण संख्या : 32/2018 तारीख दावर : 1/5/18

नानीबाई पत्नि नौला जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी नयागांव तह० बिजौलियां

बनाम

1. मोतीलाल पिता नारायण जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बृजपुरा
2. केशर पत्नि कजोड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास
3. इमरान खान पिता मुबारिक हुसैन जाति मुसलमान लोहार निवासी ~~बिजौलिया~~ पब्लिक क्लब के पास बिजौलियां तह० बिजौलियां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

15/5/18

– : आदेश : –

प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री नानीबाई पत्नि नौला जाति धाकड निवासी बृजपुरा ने जरिये अभिभाषक श्री जगदीशचन्द्र धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 589/1 .... किता 1 रकबा 3 बीघा 0 बिस्वा .... भूमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहि पड़ता है। पत्थरगढी हेतु भू0अ0नि0 जावदा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपये तय किये जाते हैं जो वक्त पत्थरगढी प्रार्थी अदा करेगा। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम नयागांव की आराजी नं0 589/1 .... किता 1 रकबा 3 बीघा 0 बिस्वा .... की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाडा